संख्या-64 /2018/3360 /96-आयुष-2-2018-9(बी)/2007टी0सी0।

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 03 अक्टूबर 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/18-19/6733, दिनॉक 09 अगस्त, 2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत बजट प्राविधानित रू0 932.41 लाख (रूपये नौ करोड बत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 932.41 लाख (रूपये नौ करोड बत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित करके कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृति धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस कार्य हेतु स्वीकृति की जा रही है।
5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-64/2018/3360(1)/96-आयुष-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- प्रधानाचार्य, रा0हो0मे0 कालेज, गोरखपुर।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक/महाप्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, इकाई गोरखपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in